संख्या- 77/2017/1953/33-3-2017-114/2012

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर,2017

विषय:- जे.ई./ए.ई.एस. प्रभावित गांवों में स्वच्छ पेयजल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहने का निदेश हुआ है कि जिन गांवों में जे.ई./ए.ई.एस. के मामले सबसे अधिक पाये जा रहे हैं उसका कारण यह है कि इन गांवों में या तो लोग इण्डिया मार्क-1 हैण्डपम्प का पानी पी रहे हैं अथवा यदि इण्डिया मार्क-1 हैण्डपम्प के स्थान पर इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाये भी गये है तो इनसे निकलने वाले अप्रयुक्त जल की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण जल पास ही गड्ढों में संचित हो रहा है, जिनसे मच्छरों के पनपने की और संक्रमण की बहुत अधिक सम्भावना हो रही है।

2- उक्त संबंध में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(1) सभी हैण्डपम्प्स के लिए यह सुनिश्चित किया जाय कि यथा सम्भव पानी का बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट तथा क्लोरिनेकेशन कराने के उपरान्त पानी की आपूर्ति करायी जाय। अनुप्रयुक्त जल की निकासी बन्द नाली के माध्यम से कम से कम 20 फिट दूर रखी जाय। हैण्डपम्प्स के पास कूड़ा/गंदगी एकत्रित न होने दी जाय।

(2) इन गांवों मे पर्यावरण स्वच्छता, जल निकासी की व्यवस्था, पानी से भरे गड्ढों को मिट्टी आदि डालकर भरने, घर तथा उसके आस-पास सफाई रखने आदि के संबंध में चित्रयुक्त, पोस्टर, पैम्पलेट, संगोष्ठी, डुग्गी पिटवाने आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर जनता को जागरूक बनाया जाय।

(3) जे.ई. के टीके अधिकाधिक संख्या में बच्चों को लगवाये जाय।

अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त लिए गए निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2.समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

4.समस्त उप निदेशक (पं0) उ0प्र0।

5.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,

विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in